

03 ¹²/₂₁

पंचायती राजात्मक गांवों के तहत अधिसूचना 2004 के तहत गांवपालिका गठित पर आधारित विधि में निस्तारण हेतु जारी गये। हमने पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गांवपालिका क्षेत्र अपनी व्यवस्थापिका की आधार सिद्धता 3019 रकम 0.1900 एवं आरजी सिद्धता 3021/3917 रकम 0.3300 है कीता 2 कुल रकम 0.5200 है सूची की व्यवस्थापिका कायदा है। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 2067-2070 अनुसूचित आरजीमात गांवपालिका की व्यवस्थापिका एक के तहत है। अतः गांवपालिका का अधिनियम पर अनुसूचित धारा 18 पर अधिनियम स्वीकार किया जाकर गांवपालिका क्षेत्र आरजी सं. 3019 3021/3917 कीता 2 रकम ~~0.3300~~ 0.5200 है-सूची की बिना किसी के कले में व्यवस्थापिका किए सरकार के अंतर्गत सूची अनुसूचित पंचायती किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिशन शुल्क 500-00 ऊपर ऊपर पांच से ऊपर प्राची वहन को गणना पालिका तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के लिखा जावे कि पंचायत के निरहित पृथग देवर निधमागुदा पंचायती की जावे कि पालिका रिपोर्ट-मासिक से अनुसूचित करे। पंचायती कोसल सुधार होकर नगर से कम हो।

(श्याम सुन्दर विष्टनाई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)